



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 मार्च, 2005

फाल्गुन 26, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 402/सात-वि-1-1(क)-2-2005

लखनऊ, 17 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005 पर दिनांक 16 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य विधि के सुधार के लिए विषयों को परिलक्षित करने हेतु राज्य में राज्य विधि आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 12 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में:-

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त आयोग के अध्यक्ष से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग से है;

(ग) "पूर्णकालिक सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन, नियुक्त किसी पूर्णकालिक सदस्य से है;

(घ) "पदेन सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) में उल्लिखित पदेन सदस्य से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी पूर्णकालिक सदस्य या किसी पदेन सदस्य से है और इसके अन्तर्गत आयोग का कोई अंशकालिक सदस्य भी है;

(च) "अंशकालिक सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त आयोग के किसी अंशकालिक सदस्य से है;

(छ) "सचिव" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन नियुक्त सचिव से है।

अध्याय-दो

राज्य विधि आयोग

आयोग का गठन

3-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय गठित करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के रूप में जाना जायेगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) अध्यक्ष	एक
(दो) पूर्णकालिक सदस्य	एक
(तीन) अंशकालिक सदस्य	दो
(चार) पदेन सदस्य	एक
(पांच) सचिव	एक

(3) आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :-

(क) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा जिसे इस रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो;

(ख) पूर्णकालिक सदस्य उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा

(ग) अंशकालिक सदस्यों में से एक सदस्य उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अतिकाल वेतनमान का कोई ऐसा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होगा जिसे न्यूनतम 25 वर्षों का न्यायिक अनुभव हो और विधायी और संसदीय कार्यकलापों का विशेष अनुभव हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा प्रख्यात विधिवेत्ता या विधि विशेषज्ञ या विधि परिषत्सदस्य या विधि आचार्य या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे धारा 5 में निर्दिष्ट विषयों में विशिष्ट एवं विशेषज्ञीय ज्ञान हो ;

(घ) निदेशक, उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, आयोग का पदेन सदस्य होगा।

4-(1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

पदावधि

(2) अंशकालिक सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद-त्याग सकता है।

(4) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय या यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से चाहे वह कुछ भी हो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर ले या यथास्थिति जब तक अध्यक्ष या ऐसा सदस्य अपने कर्तव्यों को फिर से न संभाल ले, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन-

(क) जहां अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेशित करे;

(ख) जहां किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहां स्वयं अध्यक्ष द्वारा या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेशित करें, तो यथास्थिति, ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या अन्य सदस्यों में से किसी ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसे निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(5) पद पर न रह जाने पर अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य चाहे इस रूप में या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन या स्थानीय प्राधिकरण, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी के किसी पद पर या उसके अधीन किसी नियोजन में अग्रतर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) अध्यक्ष या किसी सदस्य को ऐसा वेतन दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय।

(7) अध्यक्ष या किसी सदस्य को देय भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं :

परन्तु यह कि,-

(क) अध्यक्ष को देय भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा-शर्तों को विहित करने में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देय भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा-शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा ;

(ख) सदस्य जो उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश हो, को देय भत्ते और पेंशन और उसकी अन्य सेवा-शर्तों को विहित करने में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को देय भत्ते और पेंशन और उसकी अन्य सेवा-शर्तों को ध्यान में रखा जायगा ;

(ग) सदस्य, जो ऐसा प्रख्यात विधिवेत्ता या विधि विशेषज्ञ या विधि परिषत्सदस्य या विधि आचार्य या उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सेवा निवृत्त सदस्य हो जिसे विधायी और संसदीय कार्यकलापों का विशेष अनुभव हो, को देय भत्ते और पेंशन और उसकी अन्य सेवा-शर्तों को विहित करने में उसकी पूर्व अन्तिम सेवा, प्रास्थिति, यदि कोई हो, और उसके अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को देय भत्ते और पेंशन और उसकी अन्य सेवा-शर्तों में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकर हो :

परन्तु यह और भी कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या उसके किसी पूर्ववर्ती सरकार के अधीन अथवा किसी राज्य सरकार या उसके पूर्ववर्ती सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन (विकलांगता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता हो तो यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में—

(क) उस पेंशन की धनराशि के बराबर कमी कर दी जायेगी; और

(ख) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व, उसे देय पेंशन के किसी अंश के एवज में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया हो, तो पेंशन के उक्त अंश की धनराशि के बराबर कमी कर दी जाएगी; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई निवृत्ति उपदान प्राप्त किया हो, तो उस उपदान के बराबर तक पेंशन कम कर दी जाएगी।

अध्यक्ष या
पूर्णकालिक सदस्य
को हटाया जाना

5—(1) अध्यक्ष को मा० उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायमूर्ति की सहमति से और पूर्णकालिक सदस्य को अध्यक्ष की सहमति से राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाये;

(ख) किसी अपराध के लिये जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो सिद्धोष और कारावास से दण्डित किया जाये;

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना राज्य के हित के लिए हानिकारक हो जाय।

अध्याय—तीन

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियाँ

आयोग के कृत्य

6—(1) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त विधियों का उसके व्यवस्थित विकास और सुधार जिसके अन्तर्गत विशिष्ट ऐसी विधि का संहिताकरण, विसंगतियों का निराकरण, अनावश्यक अधिनियमितियों का निरसन, पृथक अधिनियमितियों की संख्या में कमी करना और साधारणतः विधियों का सरलीकरण और आधुनिकीकरण भी है, की दृष्टि से पुनर्विलोकन करे और करता रहे, और इस प्रयोजन के लिए—

(क) विधि के सुधार के लिए ऐसे किन्हीं प्रस्तावों को प्राप्त करना और उन पर विचार करना जो बनाये जाने हों या उसे निर्दिष्ट किये जायें;

(ख) अभिकरण (आयोग या अन्य निकाय) से सम्बन्धित संस्तुतियों, जिनके द्वारा कोई परीक्षा संचालित की जाय, सहित सुधार की दृष्टि से विधि के विभिन्न शाखाओं की परीक्षा के लिए समय-समय पर राज्य सरकार के लिए कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किन्हीं ऐसी संस्तुतियों के अनुसरण में विधि की विशिष्ट शाखाओं की परीक्षा और उनमें सुधार के प्रस्तावों का विधेयक के प्रारूप के माध्यम से अन्यथा सूत्रबद्ध करना ;

(घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर समेकन और परिनियत विधि के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुसरण में विधेयक के प्रारूप को तैयार करना ;

(ङ) राज्य सरकार के अनुरोध पर विधि के किसी शाखा में सुधार करने या उसे संशोधित करने के प्रस्तावों के साथ राज्य सरकार के विभागों और अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों या निकायों को परामर्श और सूचना उपलब्ध कराना ;

(च) अन्य राज्यों, केन्द्रीय सरकार या अन्य देशों की विधि प्रणाली के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त करना जो उसके कृत्यों में से किसी कृत्य के सम्पादन में सुविधाजनक होना सम्भावित हो;

(2) राज्य सरकार आयोग द्वारा तैयार किये गये किन्हीं कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों के अनुसरण में आयोग द्वारा किये गये सुधार के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार करेगी।

(3) आयोग, राज्य सरकार को अपनी कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट देगा।

(4) आयोग ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किये जायं।

7-(1) आयोग का एक सचिव होगा जो आसीन अपर जिला न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

सचिव

(2) सचिव, आयोग के अधिष्ठान के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा और सभी मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेगा।

(3) सचिव ऐसे अन्य कृत्यों का भी निष्पादन करेगा जो विहित किये जायं।

(4) सचिव की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी की विहित की जायं।

8-(1) सचिव, राज्य सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा जैसा कि अध्यक्ष आवश्यक समझे :

आयोग के कर्मचारिवृन्द

परन्तु यह कि इस उपधारा में किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता हो, उस सरकार की सहमति से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने से रोका गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों, की संख्या और उनकी श्रेणियां, उनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें, अध्यक्ष और सचिव की प्रास्थिति और प्रशासकीय शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जायं।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यक्ष, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा—

(एक) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की उस सरकार की सहमति से,

(दो) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की।

(4) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

अध्याय—चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

9-(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

10—(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।

(2) लेखों के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

11—आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

12—राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

13—आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

4—राज्य सरकार ऐसे विधिक मामलों पर आयोग से परामर्श कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का उपबन्ध

15—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

16—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) धारा 4 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के अन्य कृत्य

(ग) धारा 7 के अधीन सचिव की सेवा की निबंधन एवं शर्तें

(घ) धारा 8 के अधीन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ;

(ङ) धारा 8 के अधीन अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की प्रारिथति एवं प्रशासनिक शक्तियां ;

(च) प्रपत्र, जिसमें धारा 10 के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ;

(छ) प्रपत्र, जिसमें धारा 11 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सकता हो।

17-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 2
सन् 2005

18-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

अधिनियमों का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता दीर्घकाल से रही है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करने और उनके सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए केन्द्रीय विधि आयोग का गठन किया गया है जो एक स्थाई संस्था है और लम्बे अन्तराल से कार्यरत है। केन्द्रीय विधि आयोग ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में राज्यों में राज्य विधि आयोगों के गठन की सिफारिश की थी जिसके अनुसरण में बहुत से राज्यों में विधि आयोगों की स्थापना की जा चुकी थी। उत्तर प्रदेश में चार राज्य विधि आयोगों का गठन समय-समय पर किया गया था। किन्तु चूंकि उनका गठन अधिसूचना और शासनादेश द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया गया था; अतः स्थायित्व के अभाव में उनका पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सका। राज्य विधान मण्डल के चार से अधिक अधिनियम तत्समय प्रवृत्त थे जिनमें से कुछ अनावश्यक हो गये थे और बहुत से अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधि के सुधार के लिए विषयों को परिलक्षित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु राज्य में राज्य विधि आयोग का गठन करने के लिए विधि बनायी जाय।

चूंकि राज्य विधान-मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि प्रतिस्थानी विधेयक में अंशकालिक सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने और अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य को क्रमशः उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायमूर्ति की सहमति से या अध्यक्ष की सहमति से हटाये जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध कर दिये जायें।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपर्युक्त संशोधन के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 402/VII-V-1-1(Ka)-2-2005

Dated Lucknow, March 17, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhi Ayog Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 2005.

THE UTTAR PRADESH STATE LAW COMMISSION ACT, 2005

(U.P. Act No. 3 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the Constitution of State Law Commission in the State for identifying the matters for the reform of State Laws and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

Preliminary

Short title,
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2005.

(2) It extends to whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 12, 2005.

Definitions

2. In this Act,—

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 3;

(b) "Commission" means the Uttar Pradesh State Law Commission constituted under section 3;

(c) "Full time Member" means a Full time Member appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 3;

(d) "Ex-Officio Member" means the Ex-Officio Member mentioned in clause (c) of sub-section (4) of section 3;

(e) "Member" means a Full time Member or an Ex-Officio member of the Commission and includes a Part-time Member of the Commission;

(f) "Part-time Member" Means a Part-time Member of the Commission appointed under clause (d) of sub-section (4) of section 3;

(g) "Secretary" means the Secretary appointed under section 7.

CHAPTER-II

The State Law Commission

Constitution of the
Commission

3.(1) The State Government shall, by notification, constitute a body to be known as the Uttar Pradesh State Law Commission to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of :—

(i) Chairperson	One
(ii) Full time Member	One
(iii) Part-time Members	Two
(iv) Ex-Officio Member	One
(v) Secretary	One

(3) The Head quarters of the Commission shall be at Lucknow.

(4) the Chairperson and the Members shall be appointed as follows by the State Government :-

(a) the Chairperson shall be a retired Chief Justice of High Court or a retired Judge of the High Court having at least ten years experience as such;

(b) Full time Member shall be a retired Judge of the High Court;

(c) Part-time Members of which one shall be a retired Judge of the High Court or a retired District Judge of Super Time Scale having at least 25 years of Judicial Experience and having specialized experience in Legislative and Parliamentary affairs and the other shall be distinguished Jurist or Legal expert or law academician, or Law Professor or a person having specialized and expertise knowledge in the matters referred to in section 5;

(d) the Director, Institute of Judicial Training and Research Uttar Pradesh shall be the *Ex-Officio* Member of the Commission;

4.(1) Every person appointed as the Chairperson or a Full time Member shall hold office for a term of five years from the date on which he assumes office, or up to the date of his attaining 67 years of age, whichever is earlier. Term of office

(2) The Part-time members shall hold office during the pleasure of the State Government.

(3) The Chairperson or a Member may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

(4) If the office of the Chairperson or a Member becomes vacant, or if the Chairperson or a member is by reason of absence or for any other reason whatsoever, unable to perform the duties of his office, such duties, shall until some other person appointed under section 3 enters upon such office or, as the case may be, until the Chairperson or such member resumes his duties, be performed :-

(a) where the office of the Chairperson becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by such Member as the State Government may by order direct;

(b) where the office of a Member becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by the Chairperson himself, or if the Chairperson so directs, by the other Member or, as the case may be, such one of the other Members as may be specified in the direction.

(5) On ceasing to hold office the Chairperson or the Full time Member shall be ineligible for further employment whether as such or in any other capacity under the Government of Uttar Pradesh or for any employment under, or office in any of the local authority, corporation, Government company or society.

(6) There shall be paid to the Chairperson or a Member such salaries as may be prescribed.

(7) The allowances and pension, if any, payable to, and other conditions of service of, the Chairperson or a Member shall be such as may be prescribe :

Provided that in prescribing the allowances and pension payable to, and other conditions of service of :-

(a) the Chairperson, regard shall be had to the allowances and pension payable to and other conditions of service, of the Chief Justice of the High Court;

(b) the Member who is a retired Judge of the High Court, regard shall be had to the allowances and pension payable to, and other conditions of service of a Judge of a High Court;

(c) the Member who is a distinguished Jurist or Legal expert or law academician, or a Professor of Law or a Judge of the High Court a retired Member of Uttar Pradesh Higher Judicial Service, having specialized experience in Legislative and Parliamentary affairs, regard shall be had to his previous last service status if any and to his experience:

Provided further that the allowances and pension, if any, payable to, and other conditions of service of the Chairperson or a Member shall not be varied to his disadvantage after his appointment:

Provided also that if the Chairperson or a Member at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Government, his salary in respect of services as the Chairperson or, as the case may be, Member shall be reduced—

(a) by the amount of that pension, and

(b) if he has, before such appointment, received *in lieu* of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.

Removal of the
Chairpersons of the
Full time Member

5. The Chairperson may be removed from the office by the State Government with the concurrence of a sitting Judge of the Hon'ble Supreme Court and the Full time Member may be removed from the office by the State Government with the concurrence of the Chairperson, if he,—

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the commission absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of the State;

CHAPTER -III

Functions and powers of the Commission

Functions of the
Commission

6.(1) It shall be the duty of the Commission to take and keep under review all the laws of the State with a view to its systematic development and reform, including in particular the codification of such law, the elimination of anomalies, the repeal of obsolete and unnecessary enactments, the reduction of the number of separate enactments and generally the simplification and modernization of the law, and for that purpose—

(a) to receive and consider any proposals for the reform of the law which may be made or referred to it;

(b) to prepare and submit to the State Government from time to time programmes for the examination of different branches of the law with a view to reform, including recommendations as to the agency (whether the Commission or another body) by which any such examination should be carried out;

(c) to undertake pursuant to any such recommendations approved by the State Government, the examination of particular branches of the law and the formulation, by means of draft Bills or otherwise, of proposals for reform therein;

(d) to prepare from time to time at the request of the State Government comprehensive programmes of consolidation and statute law revision, and to undertake the preparation of draft Bills pursuant to any such programme approved by the State Government;

(e) to provide advice and information to the State Government departments and other authorities or bodies concerned at the instance of the State Government with proposals for the reform or amendment of any branch of the law;

(f) to obtain such information as to the legal systems of other States, Central Government or other countries as appears to the Commission likely to facilitate the performance of any of its functions.

(2) The State Government shall consider any programmes prepared by the Commission and any proposals for reform formulated by the Commission pursuant to such programmes.

(3) The Commission shall make an annual report to the State Government on their proceedings.

(4) The Commission shall perform such other functions as may be prescribed.

7.(1) There shall be a Secretary of the Commission who shall be a sitting Additional District Judge to be appointed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad.

Secretary

(2) The Secretary shall be the Drawing and Disbursing Officer with respect to the Establishment of the Commission and shall assist the Chairperson in all respect.

(3) The Secretary shall also perform such other functions as may be prescribed.

(4) The terms and conditions of service of the Secretary shall be such as may be prescribed.

8.(1) The Secretary shall with the approval of the State Government appoint, such officers and other employees to assist the Commission in the discharge of its functions under this Act as the Chairperson considers necessary:

Staff of the
Commission

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to prevent any person who holds a post under the Central or any other State Government from being appointed on deputation with the consent of the Government.

(2) the number and categories of officers and employees who may be appointed under sub-section (1), their salaries, allowances and other conditions of service, the status and administrative powers of the Chairperson, Members and the Secretary shall be such as may be determined by general or special order of the State Government.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Chairperson may for the purpose of discharging his functions under this Act utilize the services of—

(i) any officer of a State or the Central Government with the concurrence of the Government;

(ii) any other person or agency.

(4) The Commission shall regulate its own procedure.

CHAPTER-IV

Finance, accounts and audit

Grants by the State Government	<p>9.(1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.</p> <p>(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).</p>
Accounts and audit	<p>10.(1) The commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.</p> <p>(2) A copy of the annual statement of accounts shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.</p>
Annual report	<p>11. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed, giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government.</p>
Annual and other reports and audit report to be laid before State legislature	<p>12. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein and the reason for the non-acceptance, if any, of any of each recommendations and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received, before each House of the State Legislature.</p>

CHAPTER-V

Miscellaneous

Chairperson, members, Secretary and staff of Commission to be public servants State Government to consult the Commission	<p>13. The Chairperson, the Members, the Secretary, other officers and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.</p>
Provision of action taken in good faith	<p>14. The State Government may consult the Commission on such legal matters as it consider necessary.</p> <p>15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provision of this Act or the rules made thereunder.</p>
Power to make rules	<p>16.(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.</p> <p>(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provided for all or any of the following matters, namely:-</p> <p>(a) the salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of services of the Chairperson and Members under section 4;</p> <p>(b) other function of the Commission under sub-section (4) of section 6;</p> <p>(c) the terms and conditions of service of the Secretary under section 7;</p> <p>(d) the terms and conditions of service of other officers and the employees of the Commission under section 8;</p>

(e) the status and administrative powers of the Chairperson, the Members and the Secretary under section 8;

(f) the form in which annual statement of accounts is prepared under section 10;

(g) the form in which the annual report shall be prepared under section 11.

(h) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

17.(1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act the State Government may by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to remove difficulty

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

U. P.
Ordinance
no. 2 of
2005

18. (1) The Uttar Pradesh State Law Commission Ordinance, 2005 is hereby repealed.

Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The revision of Acts is a continuing process which has been needed for a long time. The Central Law Commission has been constituted by the Central Government for the revision of Central Acts and for giving suggestions connected therewith which is a permanent institution and has been working for a long interval. The Central Law Commission had in its Fourteenth Report recommended for the constitution of State Law Commissions in the States in pursuance of which law commissions had been established in many States. In Uttar Pradesh four State Law Commissions were constituted from time to time but since they were constituted by notifications and Government Orders for a fixed period, full advantage thereof could not be taken due to want of permanency. There were more than four hundred Acts of the State Legislature for the time being in force of which some had become redundant and amendments in various Acts were needed. It was, therefore, decided to make a law to provide for the Constitution of State Law Commission in the State for indentifying the matters for the reform of State Laws and for matters connected therewith or incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Law Commission Ordinance, 2005 (U.P. Ordinance no. 2 of 2005) was promulgated by the Governor on January 12, 2005.

Thereafter it has been decided to insert in the replacing Bill the provisions regarding appointment of the High Court Judge as Part-time Member and the removal of the Chairperson or the Full-time Member with the concurrence of a sitting Judge of the Supreme Court or the Chairperson respectively.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with aforesaid amendment.

By orde.,

D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 960 राजपत्र-(हि०)-(2404)-2005-597-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 294 राजपत्र-(हि०)-(2405)-2005-850-(कम्प्यूटर/आफसेट)।